अध्याय - I
प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सीएजी) का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2013 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्यौगिकी मंत्रालय (एमओसी एण्ड आईटी), भारत सरकार एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) से सम्बन्धित चयनित कार्यक्रमों और गतिविधियों की निष्पादन लेखापरीक्षा, वित्तीय लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले प्रकरणों से सम्बन्धित है।

यह अध्याय विभागों और सम्बन्धित संस्थाओं का खाका प्रदान करने के साथ लेखापरीक्षा की योजना और सीमा, महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों के सार के साथ संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमओसी एण्ड आईटी) के अधीन विभागों के व्यय का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय II से V मंत्रालय के अधीन दूरसंचार विभाग (डीओटी), डाक विभाग (डीओपी), इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई) और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा से प्राप्त वर्तमान निष्कर्षों/पर्यवेक्षणों से सम्बन्धित हैं।

1.2 लेखापरीक्षा हेतु प्राधिकार

सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एवं संसद को प्रतिवेदित करने हेतु प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 तथा सीएजी के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 से लिया गया है। सीएजी भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के व्यय की लेखापरीक्षा सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम[1] की धारा 13[2] और 17[3] तथा पीएसयू के लिये धारा 19 के तहत करता है।

1.3 लेखापरीक्षा की योजना और संचालन

सीएजी द्वारा प्रख्यापित लेखापरीक्षा मानकों और निष्पादन लेखापरीक्षा दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिपादित सिद्धान्तों और व्यवहारों के अनुरुप लेखापरीक्षा आयोजित की जाती है। लेखापरीक्षा प्रक्रिया मंत्रालय/विभागों के जोखिम के आँकलन के साथ प्रारम्भ होती है। इस जोखिम मूल्याँकन के आधार पर लेखापरीक्षा की आवृत्ति और सीमा तय की जाती है।

---

[1] नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971

[2] संघ अथवा राज्य के किसी विभाग अथवा कार्यालय में रखे गये भण्डार एवं स्टॉक के लेखों की लेखापरीक्षा एवं प्रतिवेदन

[3] (i) भारत के समेकित निधि से सभी व्यय (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से सम्बन्धित सभी लेन–देन तथा (iii) सभी व्यापार, निर्माण, लाभ व हानि लेखे, तुलनापत्र तथा अन्य सहायक लेखों की लेखापरीक्षा

1.4 लेखापरीक्षित इकाईयों की रुपरेखा

1.4.1 दूरसंचार विभाग (डीओटी)

दूरसंचार विभाग (डीओटी) नीति निर्माण, निष्पादन समीक्षा, अनुश्रवण, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए जिम्मेदार[4] है। विभाग स्पेक्ट्रम का आवंटन भी करता है और अन्तर्राष्ट्रीय निकायों के साथ निकट समन्वय में रेडियो संचार का प्रबन्धन करता है। यह बेतार नियामक उपायों को लागू करने और देश में सभी उपयोगकर्ताओं के बेतार संचरण की निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। विभाग विभिन्न शहरों और दूरसंचार सर्किलों में दूरसंचार सेवाएं देने हेतु ऑपरेटरों को लाइसेन्स प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

➢ व्यय विश्लेषण

डीओटी के 2012–13 और पिछले चार वर्षों के दौरान हुए व्यय की तुलनात्मक स्थिति नीचे तालिका–1 में दी गई है:

तालिका–1
डीओटी के राजस्व और व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2008–09	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
राजस्व	12997.80	15879.49	120547.63	17400.92	18902.00
व्यय	6186.17	11127.30	10370.26	8692.16	9273.38

(स्रोत: डीओटी के विनियोग एवं वित्तीय लेखे)

विभाग के राजस्व के प्रमुख स्रोत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं से प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण नीचे तालिका–2 में दिया गया है:

तालिका–2
प्राप्त लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभारों का विवरण

(₹ करोड़ में)

	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
लाइसेन्स शुल्क	9778.52	10286.43	11790.93	11456.48
स्पेक्ट्रम उपयोग प्रभार	3809.54	3432.47	5192.30	5679.19
नीलामी राजस्व	–	106264.73	–	1722.24

(स्रोत: 2013–14 के लिए डीओटी का वार्षिक प्रतिवेदन)

दूरसंचार विभाग द्वारा अर्जित राजस्व के एक विश्लेशण ने 2010–11 के दौरान, अप्रैल से जून 2010 में आयोजित 3 जी और ब्रॉडबैन्ड वायरलेस एक्सेस (बीडब्ल्यूए) स्पेक्ट्रम की नीलामी से हुई प्राप्ति (₹ 1,06,264.73 करोड़) के कारण वृद्धि को दर्शाया। इसके अतिरिक्त, दूरसंचार विभाग का व्यय इस

[4] डीओटी का वर्ष 2013–14 का वार्षिक प्रतिवेदन

अवधि के दौरान वर्ष 2009–10 और 2010–11 में उछाल के साथ स्थिर रुप से बढ़ा, जब छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट की अनुसंशाओं के कार्यान्वयन के फलस्वरुप पेंशन लाभों के भुगतान के साथ ही रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाईबर केबल (ओएफसी) आधारित नेटवर्क हेतु बीएसएनएल के दावों के निस्तारण के कारण व्यय वृद्धि हुई।

➢ दूरसंचार क्षेत्र की संक्षिप्त रुपरेखा

दूरसंचार, देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अपेक्षित आर्थिक वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों में से एक के रुप में विकसित हुआ है। दूरसंचार क्षेत्र ने पिछले दशक के दौरान एक अभूतपूर्व वृद्धि देखी। 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान, मार्च 2012 में टेलीफोन ग्राहकों की संख्या 429.72 मिलियन से बढ़कर 951.34 मिलियन हुई लेकिन मार्च 2013 के अन्त तक घटकर 898.02 मिलियन रह गयी। दूरसंचार क्षेत्र में वर्ष 2008–09 से 2012–13 के लिए समग्र विकास की स्थिति नीचे तालिका–3 में दी गई है।

तालिका–3
दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि की स्थिति

वर्ष	उपभोक्ता (मिलियन में)					टेलीडेंसिटी (प्रतिशत में)			इन्टरनेट तथा ब्रॉडबैंड उपभोक्ता (मिलियन में)
	कुल	ग्रामीण	शहरी	वायर लाइन	वायर लैस	समग्र	ग्रामीण	शहरी	
2008-09	429.72	120.29	309.43	37.96	391.76	36.98	15.02	88.11	13.54
2009-10	621.28	200.81	420.47	36.96	584.32	52.74	24.29	119.73	16.18
2010-11	846.32	282.24	564.08	34.73	811.59	70.89	33.79	157.32	19.67
2011-12	951.34	330.82	620.52	32.17	919.17	78.66	39.22	169.55	22.86
2012-13	898.02	349.22	548.80	30.21	867.81	73.32	41.02	146.96	21.61

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन 2008–09 से 2012–13)

पिछले छह वर्षों के दौरान उपभोक्ता आधार के संदर्भ में दूरसंचार क्षेत्र में वृद्धि नीचे दिये गये ग्राफ में दर्शायी गयी हैः

उपभोक्ता आधार में वृद्धि–निजी बनाम सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

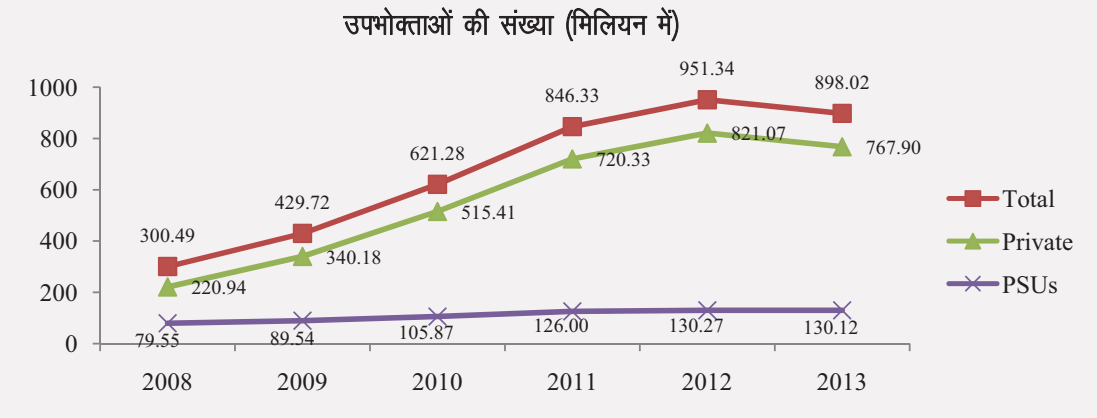

(स्रोतः ट्राई के वार्षिक प्रतिवेदन)

जैसा कि ऊपर ग्राफ से स्पष्ट है निजी दूरसंचार कंपनियों का उपभोक्ता आधार, सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की तुलना में जो पिछले तीन वर्षों के दौरान लगभग स्थिर बना हुआ है, महत्वपूर्ण है।

➢ क्षेत्र का नियामक ढाँचा

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई)

दूरसंचार सेवाओं को नियमित करने, दूरसंचार सेवाओं की दरों का निर्धारण/संशोधन करने सहित, जो कि पूर्व में केन्द्र सरकार के पास निहित थे, हेतु संसद के एक अधिनियम के द्वारा 20 फरवरी 1997 से प्रभावी ट्राई की स्थापना की गई थी। ट्राई के मुख्य उद्देश्यों में से एक निष्पक्ष और पारदर्शी नीति वातावरण प्रदान करना है जो कि एक स्तरीय कार्यक्षेत्र को प्रोन्नत करता है और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुगम बनाता है।

दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट)

एक लाइसेन्स प्रदाता और एक लाइसेन्स धारक के मध्य, दो या अधिक सेवा प्रदाताओं के मध्य, एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ताओं के समूह के मध्य किसी भी विवाद का निर्णय करने के लिए, ट्राई के किसी निर्देश, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सुनवाई और अपील के निपटान के लिए टीडीसैट की स्थापना ट्राई अधिनियम में 24 जनवरी 2000 से प्रभावी एक संशोधन के जरिए हुई थी।

➢ दूरसंचार विभाग (डीओटी) की महत्वपूर्ण इकाईयाँ

दूरसंचार विभाग में, दूरसंचार प्रवर्तन एवं संसाधन अनुश्रवण (टर्म) प्रकोष्ठ, नियंत्रक संचार लेखा (सीसीए), वायरलेस प्लानिंग एण्ड कोऑर्डीनेशन विंग (डब्ल्यूपीसी), दूरसंचार अभियंत्रिकी केन्द्र (टीईसी), राष्ट्रीय दूरसंचार नीतिगत अनुसंधान संस्थान (एनटीआई), राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान (एनआईसीएफ) तथा टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सीडॉट) जो कि अनुसंधान व विकास (आर एण्ड डी) इकाई है, शामिल हैं।

➢ सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ फण्ड)

ग्रामीण दूरभाष को प्रोत्साहन देने के लिए, भारत सरकार ने संसद के एक अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 2002 से प्रभावी एक सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (यूएसओ फण्ड) का गठन किया। यूएसओ की आवश्यकताओं हेतु स्रोत सार्वभौमिक अभिगम उद्गृहण (यूएएल), जो कि विभिन्न लाइसेंसों के सभी संचालकों द्वारा कमाये गये समायोजित सकल राजस्व का वर्तमान में 5 प्रतिशत था, से जुटाए जाने थे। भारतीय तार अधिनियम 2003 के पैरा 9 बी के अनुसार, यूएसओ फण्ड के पक्ष में प्राप्त धन राशि को पहले भारत की समेकित निधि में जमा किया जाएगा, और केन्द्र सरकार, यदि संसद इस निमित्त कानून द्वारा विनियोग से ऐसा प्रदान करती है, समय–समय पर ऐसी आय को निधि में सार्वभौमिक सेवा दायित्व को विशेष रुप से पूरा करने के उपयोग हेतु जमा कर सकती है। तदनुसार यूएसओ उद्गृहण के रूप में ₹ 50,682.96 करोड़ की राशि एकत्र की गई, जिसे भारत की समेकित निधि में जमा किया गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा इस राशि में से मात्र ₹ 22,733.04 करोड़ संसद के

विनियोग द्वारा प्राप्त किये गये तथा 31 मार्च 2013 तक यूएसओ फण्ड में जमा किये गये, जिसमें वर्ष 2002–06 हेतु लाइसेन्स शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभार के रुप में भारत संचार निगम लिमिटेड को 2008–09 में प्रतिपूर्ति किये गये ₹ 6,948.64 करोड़ भी सम्मिलित हैं।

➢ डीओटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू)

डीओटी के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले महत्वपूर्ण पीएसयू का संक्षिप्त खाका निम्नवत है:

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)

1986 में स्थापित महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) एक नवरत्न पीएसयू है और भारत के महत्वपूर्ण महानगरों–दिल्ली और मुम्बई में दूरसंचार सुविधाओं को प्रदान करता है। एमटीएनएल सिद्धांततः दिल्ली और मुम्बई के इन दो मेट्रोपोलिटन शहरों में फिक्स्ड लाईन दूरसंचार सेवा एवं जीएसएम मोबाईल सेवा प्रदाता है और अपने ब्राडबैन्ड नेटवर्क में ट्रिपल प्ले सेवाएं यथा ध्वनि, उच्च गति इन्टरनेट एवं आईपीटीवी प्रदान कर रहा है। वर्ष 2012–13[5] के दौरान एमटीएनएल का वित्तीय कारोबार ₹ 3714 करोड़ का था तथा उसे ₹ 5321 करोड़ की हानि हुयी।

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)

अक्टूबर 2000 में गठित, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल), दिल्ली और मुम्बई को छोड़कर, देश के कोने–कोने में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। बीएसएनएल एक तकनीक उन्मुख कम्पनी है तथा जो विभिन्न प्रकार की दूरसंचार सेवाएं नामतः लैन्डलाईन पर दूरभाष सेवाएं, डब्लूएलएल एवं जीएसएम मोबाईल, ब्राडबैन्ड, इन्टरनेट, लीज्ड सर्किट एवं लंबी दूरी दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। वर्ष 2012–13[6] के दौरान बीएसएनएल का कारोबार ₹ 27,127 करोड़ था तथा उसे ₹ 7884 करोड़ की हानि हुयी।

भारतीय दूरभाष उद्योग लिमिटेड (आईटीआईलि)

आईटीआई लिमिटेड दूरसंचार के क्षेत्र में भारत का अग्रणी उद्यम है। आईटीआई ने 1948 में बंगलुरु में अपने संचालन प्रारम्भ किए जो कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, उत्तर प्रदेश में नैनी, रायबरेली और मनकापुर तथा केरल में पालक्काड में निर्माण सयंत्र स्थापित कर अन्य क्षेत्रों में पुनः विस्तारित किए गए। कम्पनी ने वर्ष 2012–13[7] के दौरान ₹ 876 करोड़ का सकल कारोबार किया तथा उसे ₹ 182 करोड़ की हानि हुई।

---

[5] एम.टी.एन.एल का वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन

[6] बी.एस.एन.एल. का वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन

[7] आई.टी.आई. लि. का वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन

भारतीय दूरसंचार परामर्शदाता लिमिटेड (टीसीआईएल)

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले टीसीआईएल की स्थापना दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के मुख्य उद्देश्य से, विदेशी एवं घरेलू बाजारों में उचित विपणन रणनीति विकसित कर अत्याधुनिक तकनीक को प्राप्त कर अपने संचालनों में उत्कृष्ट होने के लिये, 1978 में हुई थी। कम्पनी ने वर्ष 2012–13[8] के दौरान ₹ 708 करोड़ के कारोबार पर ₹ 15.76 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

भारत ब्राडबैन्ड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल)

बीबीएनएल, एक स्पेशल परपज़ व्हेकिल (एसपीवी), को राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क परियोजना (एनओएफएन) निष्पादित करने हेतु 2012 में भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत निगमित किया गया। बीबीएनएल को देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायतों (जीपी) को पीएसयू नामतः बीएसएनएल, रेलटेल एवं पावर ग्रिड के मौजूदा फाईबरों का उपयोग करते हुए ऑप्टिकल फाईबर के माध्यम से जोड़ने तथा जहाँ आवश्यक हो वहाँ ग्राम पंचायतों और ब्लाकों के मध्य सम्पर्कता अन्तराल को भरने के लिये वृद्धिशील फाईबर बिछाने की जिम्मेदारी दी गयी है, जो कि पर्याप्त बैन्डविड्थ के साथ ब्राडबैन्ड सम्पर्कता सुनिश्चित करेगा। कम्पनी ने वर्ष 2012–13[9] के दौरान ₹ 4.01 करोड़ के टर्नओवर पर ₹ 1.69 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

1.4.2 डाक विभाग (डीओपी)

भारतीय डाक नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है जिसके अन्तर्गत 1.54 लाख से अधिक डाकघर हैं तथा यह देश के दूरस्थ किनारों तक को छूता है। जबकि विभाग की मुख्य गतिविधि मेल का प्रसंस्करण, प्रेषण एवं वितरण है, विभाग द्वारा विविध प्रकार की खुदरा सेवाएं जिनमें धन प्रेशण, बैंकिग के साथ साथ बीमा भी शामिल है, प्रदान की जाती हैं। यह सैन्य एवं रेलवे पेन्शन भोगियों को पेन्शन एवं पारिवारिक पेन्शन के संवितरण, कोयला खदानों के कर्मचरियों के परिवारों एवं कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों के परिवारों की पारिवारिक पेन्शन के संवितरण में भी संलिप्त है। अभी हाल ही में डाक विभाग ने सामाजिक लाभ के भुगतानों जैसे मनरेगा व सामाजिक सुरक्षा पेन्शन योजनाओं की जिम्मेदारी ली है।

वित्तीय प्रदर्शन

डाक विभाग के वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक की राजस्व प्राप्तियों एवं राजस्व व्यय को नीचे तालिका–4 में दर्शाया गया है।

[8] टी.सी.आई.एल. का वर्ष 2012–13 का वार्षिक प्रतिवेदन

[9] बी.बी.एन.एल. का वर्ष 2012–13 का वाषिक प्रतिवेदन

तालिका–4
डीओपी की राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	वसूलियाँ	राजस्व व्यय	घाटा (2)+(3)-(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2008-09	5862.33	300.82	9756.23	3593.08
2009-10	6266.70	438.94	13346.94	6641.30
2010-11	6962.33	485.72	13793.67	6345.62
2011-12	7899.35	458.64	14163.91	5805.92
2012-13	9366.50	688.77	15481.15	5425.88

(स्रोतः डीओपी के वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक के विनियोजन लेखे)

विभाग की कमाई "वसूलियों" एवं "राजस्व प्राप्तियों" के रुप में है।

2012–13 में डाक सेवाओं[10] पर ₹ 5425.88 करोड़ रुपये का घाटा था। विभाग द्वारा विभाग के घाटे का मुख्य कारण छुट्टी यात्रा रियायत पर अवकाश नकदीकरण, एमएसीपी, वेतन में सामान्य वृद्धि, महँगाई भत्ते में वृद्धि एवं पेन्शन प्रभार के कारण कार्य व्यय में वृद्धि को ठहराया गया। 2008–09 से 2012–13 की अवधि की तुलनात्मक स्थिति निम्नवत् हैः

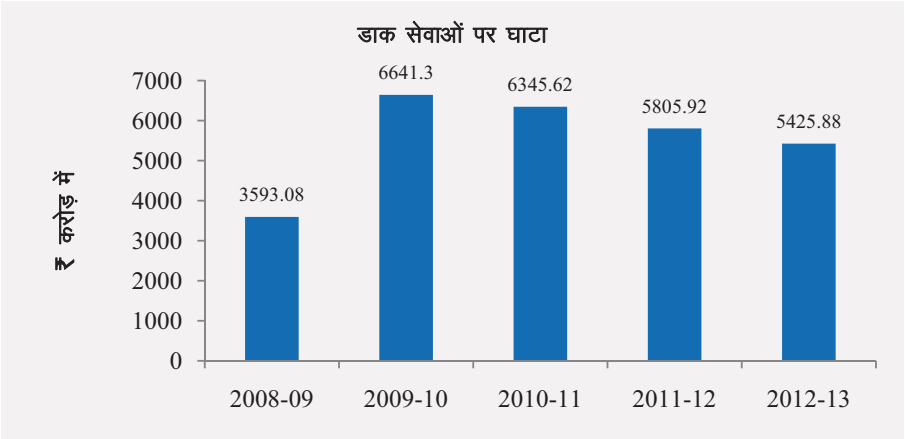

1.4.3 इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीईआईटीवाई)

डीईआईटीवाई, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अन्तर्गत एक विभाग है जो कि इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीईआईटीवाई की परिकल्पना, विकसित राष्ट्र एवं सशक्त समाज में परिवर्तन हेतु इंजन के रूप में भारत का ई–विकास करना है।

वर्ष 2008–09 से 2012–13 तक भारतीय इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी – आईटीईएस (सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं) उद्योग के उत्पादन एवं वृद्धि खाका नीचे चार्ट में दिया गया हैः

[10] घाटे की गणना राजस्व प्राप्तियों एवं वसूलियों तथा राजस्व व्यय के बीच के अन्तर पर की गयी है यथा, {(₹ 9366.50+₹ 688.77)-₹ 15481.15}

इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी उत्पादन

(₹ करोड़ में)

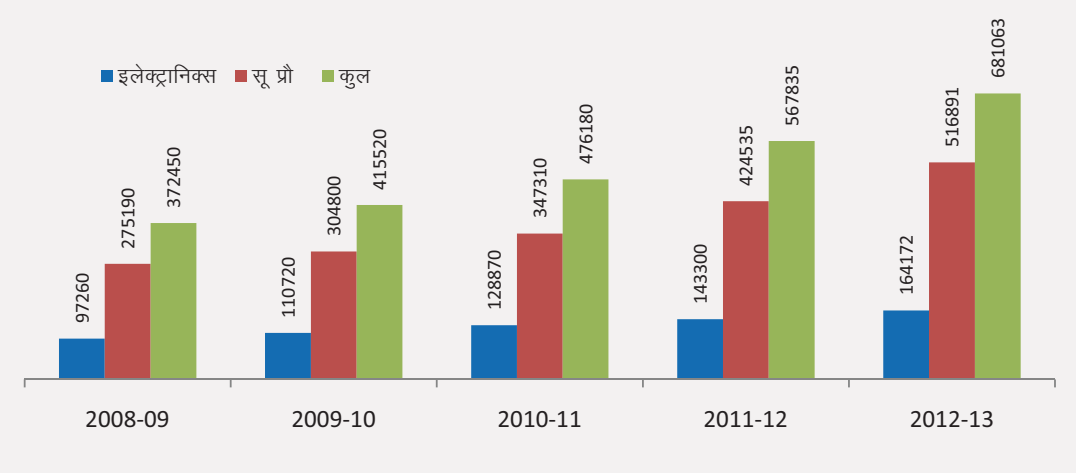

स्रोतः डीईआईटीवाई का वार्षिक प्रतिवेदन)

चार्ट से यह देखा जा सकता है कि 2008–09 से 2012–13 के दौरान क्षेत्र में समग्र विकास 182.86 प्रतिशत था एवं 2012–13 के दौरान आईटी उत्पादन, इलेक्ट्रानिक्स तथा आईटी के कुल उत्पादन का 75.89 प्रतिशत था।

भारतीय आईटी उद्योग भारत के जीडीपी, निर्यात एवं रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है। जैसा कि विभाग ने परिकल्पित किया है कि वर्ष 2013–14 के दौरान आईटी – आईटीईएस उद्योग का कुल राजस्व ₹8,39,425 करोड़ होने की उम्मीद है और भारतीय साफ्टवेयर एवं सेवाओं का निर्यात ₹5,19,319 करोड़ होने का अनुमान है।

अपने कार्यों के निर्वहन हेतु डीईआईटीवाई को भारत सरकार से अनुदान के रुप में बजटीय समर्थन प्रदान किया जाता है। 2008–09 से 2012–13 की अवधि के दौरान प्राप्त हुए अनुदान के सापेक्ष डीईआईटीवाई द्वारा किया गया व्यय, तालिका–5 में दिया गया है।

तालिका–5
डीईआईटीवाई से सम्बन्धित अनुदान के सापेक्ष व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान राशि	कुल व्यय
2008-09	1816	1558
2009-10	2582	1697
2010-11	3719	3129
2011-12	3048	2074
2012-13	3051	1903
कुल	**14216**	**10361**

(स्रोतः डीईआईटीवाई के वर्ष 2008–09 से 2012–13 के विनियोजन लेखे)

डीईआईटीवाई के अधीन पाँच सगठन[11] और सात स्वायत्त सोसायटी[12] के अतिरिक्त दो संलग्न कार्यालय–मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी) तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) और धारा 25 की तीन कम्पनियाँ–मीडिया लैब एशिया, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं निगमित (एनआईसीएसआई) और भारत का राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेन्ज (निक्सी) हैं।

मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (एसटीक्यूसी)

वर्ष 1980 में स्थापित एसटीक्यूसी, अपने मूल्यवान ग्राहकों को अत्याधुनिक तकनीक आधारित गुणवत्ता आश्वासन सेवाएं प्रदान करने तथा आईटी क्षेत्र पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये डीईआईटीवाई मैनडेट के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिये, हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों हेतु एक अन्तर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त विश्वसनीय सेवा प्रदाता है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को आधारभूत नेटवर्क और ई–शासन की सुविधा प्रदान कर रहा है।यह केन्द्र और राज्य सरकारों के साथ निकट सहयोग में (अ) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं एवं केन्द्रीय क्षेत्र योजनाओं, (ब) राज्य क्षेत्र एवं राज्य प्रायोजित परियोजनाओं, तथा (स) जिला प्रशासन प्रायोजित परियोजनाओं के क्षेत्र में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सेवाओं की वृहत् श्रंखला प्रदान करता है।

मीडिया लैब एशिया

मीडिया लैब एशिया आम आदमी को आईसीटी के लाभ दिलाने के उद्देश्य से बनायी गयी गैर–लाभकारी कम्पनी है। मीडिया लैब एशिया के अनुप्रयोग क्षेत्र स्वास्थ सेवाएं, शिक्षा, आजीविका एवं विकलांगों के सशक्तिकरण में आई सी टी का उपयोग शामिल करते हैं। कम्पनी विकास कार्य आरंभ करने के लिये अग्रणी संस्थानों के साथ कार्य करती है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक. (एनआईसीएसआई)

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र सेवाएं इंक. (एनआईसीएसआई) को, सरकारी संस्थाओं को पूर्ण आईटी समाधान उपलब्ध कराने के लिए, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के अधीन धारा 25 की कम्पनी के रुप में 1995 में स्थापित किया गया था। एनआईसीएसआई के मुख्य उददेश्य सूचना प्रौद्योगिकी के

[11] प्रमाणन प्राधिकारियों का नियंत्रक (सीसीए), साइबर अपीलीय प्राधिकरण (कैट), सेमीकन्डक्टर इन्टीग्रेटेड सर्किट्स लेआउट–डिजाइन रजिस्ट्री, भारतीय कम्प्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (आईसीईआरटी) और .In रजिस्ट्री

[12] कम्प्यूटर नेटवर्किंग में षिक्षण एवं शोध (अरनैट), उच्च संगणना विकास केन्द्र (सी–डैक), इलेक्ट्रानिक्स प्रौद्योगिकी सामग्री केन्द्र (सी–मैट), राष्ट्रीय इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईईएलआईटी), प्रायोगिक सूक्ष्म तरंग इलेक्ट्रानिक्स अभियांत्रिकी एवं अनुसंधान सोसायटी (समीर), भारत के साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपीआई) एवं इलेक्ट्रानिकि एवं कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात प्रोन्नति परिषद (ईएससी)

उपयोग को प्रोत्साहित कर भारत के आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास प्रदान करना हैं।

भारत का राष्ट्रीय इन्टरनेट एक्सचेन्ज (एनआईएक्सआई)

एनआईएक्सआई कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के अन्तर्गत एक गैर लाभकारी संगठन है तथा 19 जुलाई 2003 को पंजीकृत हुआ था। इसका मुख्य उददेश्य घरेलू इन्टरनेट यातायात के विनिमय को समकक्ष आईएसपी सदस्यों के मध्य सुगम बनाना है। आधारभूत ढाँचा हेतु प्रारम्भिक वित्त पोषण सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा था। एनआईएक्सआई को तीन उत्तरदायित्व यथा इन्टरनेट एक्सचेंज संचालन, .IN रजिस्ट्री संचालन एवं राष्ट्रीय इन्टरनेट रजिस्ट्री (एनआईआर) संचालन सौंपे गये हैं।

1.5 बजट और व्यय नियंत्रण

डीओटी, डीओपी तथा डीईआईटीवाई के संदर्भ में 2012–13 के लिये विनियोजन लेखों का सारांश आगामी तालिका–6 में दिया गया है:

तालिका– 6

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन तीन विभागों को दिये गये अनुदान (वोटेड एवं चार्ज्ड) तथा उनके द्वारा किये गये व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	मंत्रालय/विभाग	अनुदान/विनियोजन (अनुपूरक अनुदान सहित)	कुल व्यय	(-) बचत/ (+)आधिक्य
1.	इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	3051.01	1902.55	(-) 1148.46
2.	डाक विभाग	15937.70	15627.42	(-) 310.28
3.	दूरसंचार विभाग	13262.34	9273.38	(-) 3988.96

(स्रोत: 2012–13 के लिए विभागों के विनियोजन लेखे)

2014 के सीएजी प्रतिवेदन सँख्या 1 (वित्तीय लेखापरीक्षा) के पैरा 3.5 के अंतर्गत वर्ष 2012–13 के विनियोग लेखों में डाक विभाग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व (वोटेड) अनुभाग के तहत अनुदान सँख्या 13 में सतत् आधिक्य पर टिप्पणी की गई थी। हालाँकि, जब तालिका 6 में दर्शाई गई दोनों राजस्व एवं पूँजीगत (चार्ज्ड एवं वोटेड) अनुभागों को जोड़ा गया तो ₹ 310.28 करोड़ की बचत थी।